न्यायालय सहायक कलक्टर, फलोदी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

वादी

भूराराम पुत्र श्री अमोलखराम, जाति विश्नोई, निवासी शिव शक्ति नगर, सांवरीज तहसील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुरताराम पुत्र श्री अमोलखराम
2. सोनाराम पुत्र श्री अमोलखराम
3. माधाराम पुत्र श्री अमोलखराम
4. किशनाराम पुत्र श्री खेराजराम
5. हीराराम पुत्र श्री खेराजराम
6. बीरबलराम पुत्र श्री खेराजराम
7. धीमा पुत्र श्री मंगला
8. जोधा पुत्र श्री मंगला
9. पांचाराम पुत्र श्री पोकरराम
10. शैतानाराम पुत्र श्री पोकरराम
11. मोबताराम पुत्र श्री पोकरराम
12. कंवरूराम पुत्र श्री पोकरराम
13. आमल पत्नी श्री पोकरराम
14. नैनी पत्नी श्यामलाल
15. रमेश कुमार पुत्र श्री भूराराम
16. सरोज पत्नी श्री रमेश कुमार
   सभी जाति विश्नोई निवासी शिव शक्ति नगर, सांवरीज, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर (राज.)
17. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फलोदी
18. श्रीमान् तहसीलदार, फलोदी

<u>दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

राजस्व मूल वाद संख्या :– 03/2020

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई अधिवक्ता वादी की तरफ से
2. प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता उगराराम उदाणी उपस्थित
3. प्रतिवादी संख्या 4 ता 17 की ओर से कोई उपस्थित नहीं
4. प्रतिवादी सख्या 18 सरकारी पैरोकार स्वयं उपस्थित

दिनांक :– 4/11/22

निर्णय

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम की खातेदार अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम शिवनगर पटवार क्षेत्र सांवरीज तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 722/1 रकबा 72.14 बीघा एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम की सामलाती खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 72.15 बीघा के रूप में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 722/1 रकबा 72.14 बीघा भूमि में वादी को 635/2908वां हिस्सा अर्थात 15.17 बीघा, प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा एवं 46/1454वां हिस्सा एवं खसरा नम्बर 722 रकबा 72.15 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 292/1455वां हिस्सा अर्थात 14.12 बीघा जिसमें

वादी को 292/1455 का 1/3 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा भूमि बंट में आती है तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 50/1455 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को संयुक्त रूप से 251/1164 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 को 229/1940 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को 251/1164वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 13 को 91/5820वां हिस्सा भूमि बंट मे आती है। उक्त खसरान् की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा होया हुआ है तथा माफिक मौखिक बटवाड़ा वादी के बंट मे वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. हिस्सा भूमि बंट में रखी हुई है इसी अनुसार ही वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है उक्त भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् बंटवाड़ा नहीं होया हुआ है इसलिये वादी उक्त भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाने का हकदार है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता उगराराम उदाणी ने वकालतनामा पेश किया शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामिल नोटिस उपस्थित नहीं हुवे उनके विरूद्ध एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 18 तहसीलदार फलोदी ने स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। अतः पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम की खातेदार अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम शिवनगर पटवार क्षेत्र सांवरीज तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 722/1 रकबा 72.14 बीघा एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम की सामलाती खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 72.15 बीघा के रूप में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 722/1 रकबा 72.14 बीघा भूमि में वादी को 635/2908वां हिस्सा अर्थात 15.17 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा एवं 46/1454वां हिस्सा एवं खसरा नम्बर 722 रकबा 72.15 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 292/1455वां हिस्सा अर्थात 14.12 बीघा जिसमे वादी को 292/1455 का 1/3 हिस्सा अर्थात 4.17 बीघा भूमि बंट में आती है तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 50/1455 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को संयुक्त रूप से 251/1164 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 को 229/1940 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को 251/1164वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 13 को 91/5820वां हिस्सा भूमि बंट में आती है। उक्त खसरान् की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा होया हुआ है तथा माफिक मोखिक बंटवाड़ा वादी के बंट में वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. हिससा भूमि बंट में रखी हुई है इसी अनुसार ही वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है उक्त भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् बंटवाड़ा नहीं होया हुआ है इसलिये वादी उक्त भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाने का हकदार है। इसलिये उक्त खसरा की भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार बंटवाड़ा किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण की ओर से भी उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया, बाद अवलोकन पत्रावली प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियो में तैयार कर पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी के अधिवक्ता ने माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिगरी जारी किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् पत्रावली अंतिम बहस हेतु रखी गई।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किया जाकर इसी अनसुार अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् वर्तमान जमाबंदी, नक्शा ट्रैस, बंटवाड़ा, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 उक्त भूमि के रेकर्डड खातेदार है तथा दौराने वाद वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 को उक्त खसरान की भूमि में से कुछ हिस्सा भूमि का बक्सीस कर दिया है और तहसीलदार फलोदी द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव भी पेश किया जा चुका है तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार सभी खातेदारों ने खसरा नम्बर 722 की भूमि की आपसी सहमति से आपसी भाईयों द्वारा रजिस्ट्री से खसरा अदला बदली करने के पश्चात ही करवाये जाने का निवेदन किया तथा खसरा नम्बर 722/1 का बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का निवेदन किया जिस पर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बंटवाड़ा किये जाने का वादी एवं प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर की है। वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 16 उक्त वादग्रस्त भूमि के रेकर्डड खातेदार है जो अपनी खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा करवाने के जायज हकदार है। वादी ने अपने वाद को दस्तावेजात् से साबित किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम शिवनगर पटवार क्षेत्र सावंरीज तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 722/1 रकबा 11.7682 हैक्टयर अर्थात 72.14 बीघा भूमि में से वादी संख्या 01 को 217/2908 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 14 का 105/1454, प्रतिवादी सख्या 15 का 12/727 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 16 का 40/727 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में 2273/8724 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में 2273/8724 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 3 के बंट में 2273/8724 हिस्सा भूमि तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बंट में रखी जाती है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 की तरमीम सामलाती रखी जाती है। रहन की प्रविष्टी यथावत रहेगी। तहसीलदार फलोदी को विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार फलोदी माफिक आदेश वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में अलग अलग खाते कायम कर इन्द्राज करे और इसी माफिक नक्शा ट्रैस में सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की किये जाने की अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.11.22 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
फलोदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी

बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर. ए. एस.)

वादीगण

भूराराम पुत्र श्री अमोलखराम, जाति वि नोई, निवासी शिव शक्ति नगर, सांवरीज तहसील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुरताराम पुत्र श्री अमोलरखराम
2. सोनाराम पुत्र श्री अमोलरखराम
3. माधाराम पुत्र श्री अमोलखराम
4. किशनाराम पुत्र श्री खेराजराम
5. हीराराम पुत्र श्री खेराजराम
6. बीरबलराम पुत्र श्री खेराजराम
7. धीमा पुत्र श्री मंगला
8. जोधा पुत्र श्री मंगला
9. पांचाराम पुत्र श्री पोकरराम
10. शैतानाराम पुत्र श्री पोकरराम
11. मोबताराम पुत्र श्री पोकरराम
12. कंवरूराम पुत्र श्री पोकरराम
13. आमल पत्नी श्री पोकरराम
14. नैनी पत्नी श्यामलाल
15. रमेश कुमार पुत्र श्री भूराराम
16. सरोज पत्नी श्री रमेश कुमार
    सभी जाति विश्नोई निवासी शिव शक्ति नगर, सांवरीज, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर (राज.)
17. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फलोदी
18. श्रीमान् तहसीलदार, फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 03/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे हाजिर श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई अधिवक्ता मुदई व श्री उगराराम अधिवक्ता प्रवितादीगण संख्या 01 ता 03 पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम शिवनगर पटवार क्षेत्र सावंरीज तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 722/1 रकबा 11.7682 हैक्टयर अर्थात 72.14 बीघा भूमि में से वादी संख्या 01 को 217/2908 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 14 का 105/1454, प्रतिवादी सख्या 15 का 12/727 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 16 का 40/727 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में 2273/8724 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में 2273/8724 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 3 के बंट में 2273/8724 हिस्सा भूमि तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बंट में रखी जाती है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 की तरमीम सामलाती रखी जाती है। रहल की प्रविष्टी यथावत रहेगी। तहसीलदार फलोदी को विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार फलोदी माफिक आदेश वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में अलग अलग खाते कायम कर इन्द्राज करे और इसी माफिक नक्शा ट्रैस में सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की किये जाने की अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व भाहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूल याबी तक

बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 11 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमी नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमी नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—